प्रदेश के निजी संस्थाओं को दो वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता की विवरणिका

1. **पात्रता**

(i) उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वे निजी संस्थायें पात्र होंगी जो उपयुक्त विधि के अधीन पंजीकृत अलाभकारी सोसायटियों और न्यासें द्वारा स्थापित तथा संचालित स्व–वित्तपोषी शैक्षिक संस्थान हैं।

(ii) उपरोक्तानुसार वे संस्थायें पात्र होंगी जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी.टी.सी. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सीट के आवंटन सहित मान्यता निर्गत की गयी हो।

2. **आवेदन की प्रक्रिया**

(i) पात्र और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने को इच्छुक संस्थान द्वारा सम्बद्धता के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान** अथवा **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्ररिषद, उ0प्र0 लखनऊ** से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रू0 1000/– (एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट **प्रशासनिक अधिकारी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ** के पक्ष में तथा लखनऊ में देय होगा।

(ii) निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप **राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ** की वेबसाइट www.scertup.org से भी डाउन लोड किया जा सकता है। परन्तु आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन शुल्क प्रस्तर 2 क्रमाक **(i)** के अनुसार ही देय होगा।

(iii) **प्रक्रिया शुल्क** हेतु रू0 50,000/– (पचास हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो **प्रशासनिक अधिकारी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ** के नाम देय होगा, को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सभी दृष्टियों से भरे हुए पूर्ण आवेदन पत्र तीन प्रतियों में समस्त संलग्नकों सहित जिस शैक्षणिक सत्र के लिए सम्बद्धता मांगी जा रही है उससे पूर्व के शैक्षिक सत्र के **31 अगस्त** तक सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

3. **आवेदन पत्रों पर कार्यवाही**

(i) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अपने जनपद में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को अनिवार्यतः 10 सितम्बर तक मुख्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त करायेगा।

(ii) प्राप्त आवेदन पत्रों का भली भांति परीक्षण करने के पश्चात पात्र एवं अर्ह संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण तथा वीडियोग्राफी राज्य स्तरीय समिति द्वारा गठित नामित पैनल से कराया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति निम्नवत होगी –

1– सचिव, बेसिक शिक्षा, द्वारा नामित अधिकारी	–	अध्यक्ष
2– निदेशक, बेसिक शिक्षा	–	सदस्य
3– निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	–	सदस्य
4– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी	–	सदस्य–सचिव

(iii) निरीक्षक पैनल का यह दायित्व होगा कि संस्था में उपलब्ध भौतिक एवं शैक्षिक संसाधनों का स्थलीय सत्यापन करेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित मानदंडों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है अथवा नहीं, इसका उल्लेख अपनी आख्या में प्रस्तुत करेगा।

(iv) निरीक्षक पैनल यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्था द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मान्यता हेतु आवेदन करते समय दर्शायी गयी सुविधाएं वास्तव में संस्था में उपलब्ध है अथवा नहीं एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता निर्गमन पत्र में यदि कोई शर्त लगाई गयी है तो संस्था द्वारा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया गया है अथवा नहीं।

(v) निरीक्षक पैनल द्वारा संस्थान के स्थलीय निरीक्षण के समय संबंधित संस्थान निरीक्षण की इस ढंग से वीडियोग्राफी की व्यवस्था करेगा कि सभी महत्वपूर्ण आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाएं तथा प्रबंधक वर्ग और संकाय के साथ वैचारिक आदान–प्रदान वीडियोग्राफ किया जाए, यदि वह ऐसे निरीक्षण के समय उपलब्ध हो। वीडियोग्राफी भवन, उसके पास–पड़ोस, पहुंच मार्ग तथा क्लासरूमों, प्रयोगशालाओं संसाधन कक्षों, बहुउद्‌देशीय हाल, पुस्तकालय आदि सहित महत्वपूर्ण आधारिक सुविधाओं का बाहरी दृश्य प्रस्तुत करेगी। निरीक्षण दल यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियोग्राफी सतत रूप में की जाए। वीडियोग्राफी की अंतिम प्रति रिकार्डिंग के तत्काल बाद निरीक्षक पैनल के सुपर्द कर दी जाए और सीडी के रूप में इसका रूपान्तरण निरीक्षक पैनल की उपस्थिति में किया जाए। निरीक्षक पैनल अपनी निरीक्षण आख्या वीडियोटेपों सहित निरीक्षण तिथि से अधिकतम तीन दिनों के भीतर परिषद मुख्यालय को उपलब्ध करायेगा।

(vi) प्रस्तर 3 क्रमांक (ii) में दर्शायी गयी राज्य स्तरीय समिति निरीक्षक पैनल द्वारा प्राप्त निरीक्षण आख्या का भली भांति परीक्षण करेगी। समिति यदि उचित समझेगी तो संस्था का पुनः निरीक्षण भी करा सकती है।

(vii) राज्य स्तरीय समिति समस्त आवेदक संस्थाओं को बीटीसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अपना अभिमत शासन को अधिकतम 15 फरवरी तक प्रेषित करेगी।

(viii) शासन द्वारा राज्य स्तरीय समिति का अभिमत प्राप्त होने पर सम्बद्धता हेतु निर्णय लिया जायेगा।

(ix) शासन से निर्णय प्राप्त होने के पश्चात सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में यथा स्थिति आदेश निर्गत किया जायेगा।

(x) जिस संस्था को निर्धारित मानक/शर्तें पूर्ण न करने के कारण सम्बद्धता प्रदान करने हेतु शासन द्वारा अनुमोदन नही दिया गया होगा, उसकी मान्यता प्रत्याहरण हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति कर दी जायेगी।

(xi) आवेदन पत्र में कोई गलत जानकारी देने या ऐसे तथ्यों को छिपाने जिनका निर्णय लेने की प्रक्रिया अथवा सम्बद्धता प्रदान करने से सम्बन्धित निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है, उसके फलस्वरूप प्रबंधक वर्ग के खिलाफ अन्य कानूनी कार्यवाही के अलावा संस्थान की सम्बद्धता शासन द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है। सम्बद्धता प्रत्याहरित किये जाने सम्बन्धी आदेश, संस्थान को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से समुचित अवसर देने के पश्चात ही पारित किया जायेगा।

4. वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने वाला विवरण

आवेदित संस्था द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होते ही, 15 दिन के भीतर अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी। वेबसाइट में अन्य बातों के साथ–साथ संस्थान, बी.टी.सी. पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश किए जाने वाले छात्रों की संख्या (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत), भूमि, भवन, कार्यालय, क्लासरूमों जैसी भौतिक सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं अथवा साधनों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसी अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा उनके प्रस्तावित शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टाफ आदि के फोटोग्राफ सहित, ब्यौरे, अध्यापक प्रशिक्षकों की पैन संख्या। निम्न से सम्बन्धित जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी :

(i) संस्थान का नाम, पूरा पता, दूरभाष नं0, फैक्स नं0 तथा ई–मेल।

(ii) संस्थान में वार्षिक आधार पर प्रवेश किए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या सहित स्वीकृत कार्यक्रम।

(iii) संकाय और स्टाफ के पूरे नाम, जिस रूप में उनका उल्लेख स्कूल प्रमाण-पत्र में किया गया हो साथ ही उनके अर्हताएं और वेतनमान एंवम फोटोग्राफ।

(iv) ऐसे संकाय सदस्यों के नाम जिन्होंने पिछली तिमाही में संस्थान छोड़ दिया हो अथवा संस्थान में कार्यभार संभाला हो।

(v) उपलब्ध मूलभूत आधारिक सुविधाओं का विवरण।

(vi) पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

(vii) प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात वर्तमान सत्र में प्रवेश किये गये प्रशिक्षणार्थियों के नाम, अर्हता, मेरिट गुणांक एवं प्रवेश की तिथि आदि।

(viii) प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों से लिए गये शुल्क का मदवार विवरण।

(ix) संस्थान यदि चाहे तो अतिरिक्त संगत जानकारी प्रदर्शित कर सकता है।

(x) वेबसाइट अपडेट रहनी चाहिए।

(xi) वेबसाइट पर किसी प्रकार की अधूरी अथवा गलत जानकारी प्रदर्शित होने की स्थिति में सम्बद्धता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जा सकती है।

5. सम्बद्धता प्रदान करने के लिए शर्तें

(i) संस्था को अध्यापक शिक्षा में बीटीसी पाठ्यक्रम संचालन के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों से संबंधित सभी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अन्य भौतिक आधारिक सुविधाओं, शिक्षण और गैर-शिक्षण कार्मिकों सहित अर्हताप्राप्त स्टाफ आदि से संबंधित स्थितियां शामिल होंगी।

(ii) संस्थान का प्रायोजन करने वाली सोसायटी/ट्रस्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित अध्यापक शिक्षा संस्थान के पास मानदंडों द्वारा यथानिर्धारित एक भलीभांति सीमांकित भू-क्षेत्र हो। भूमि संस्थान के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए। इन विनियमों के अधीन किसी भी संस्थान को तब तक सम्बद्धता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि संस्थान का प्रायोजन करने वाले ट्रस्ट अथवा सोसायटी के पास आवेदन की तारीख को आवश्यक भूमि का कब्जा न हो। सभी प्रकार के ऋण-भार से मुक्त इस तरह की भूमि मालिकाना आधार पर होनी चाहिए। कोई भी भूमि तथा भवन किसी अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए पट्टे पर मान्य नहीं होगा।

(iii) अध्यापक शिक्षा संस्थान को अपने सीमांकित क्षेत्र अथवा भवन के भीतर कोई और संस्थान रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वह इस भवन में कोई अन्य पाठ्यक्रम अथवा कोई अन्य गतिविधियां संचालित नहीं करेगा।

(iv) सोसायटी/ट्रस्ट ओथ कमिश्नर अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित 100 रुपए के पक्के कागज पर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें भूमि का वास्तविक स्थान (खसरा नंबर, गांव, जिला, राज्य आदि), कब्जे में कुल क्षेत्र और भूमि का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, कब्जे की विधि अर्थात मालिकाना हक का विवरण होगा। इस

तरह के शपथ-पत्र के साथ-साथ पंजीकरण अधिकारी अथवा सिविल अधिकारी द्वारा जारी किए गए भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की, भूमि का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के वास्ते सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की तथा अनुमोदित बिल्डिंग भवन के नक्शें की सत्यापित प्रति संलग्न की जाएगी। भवन पूर्ण होने का प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा) संलग्न किया जायेगा।

(v) संस्थान द्वारा शपथ-पत्र की एक प्रति अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर वेबसाइट के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को भी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा। यदि शपथ-पत्र में दी गई बातें गलत या झूठी पाई जाएंगी तो संबंधित सोसायटी अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा अन्य संगत नियमों के संगत प्रावधानों के अधीन सिविल और दांडिक कार्रवाई की जा सकेगी और उसकी सम्बद्धता प्रत्याहरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।

(vi) निरीक्षण के समय संस्थान का भवन संस्थान के कब्जे की भूमि पर एक स्थायी ढांचे के रूप में होगा जोकि सभी आवश्यक सुख-सुविधाओं से सुसज्जित होगा और मानंदडों और मानकों में यथानिर्धारित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा। प्रार्थी संस्थान सक्षम सरकारी प्राधिकारी अथवा स्थानीय निकाय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल समापन प्रमाण पत्र, भवन तथा निर्मित क्षेत्र के समापन के प्रमाण के रूप में अनुमोदित भवन का नक्शा तथा अन्य दस्तावेज सत्यापन के लिए निरीक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। संस्थान में किसी भी अस्थायी ढांचे अथवा एसबेस्टास की छत की अनुमति नहीं दी जाएगी भले ही वह निर्धारित निर्मित क्षेत्र के अलावा हो।

(vii) संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र/छात्राओं का प्रवेश राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने के उपरान्त तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित नीति के अनुसार ही किया जायेगा।

(viii) बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित समान पाठ्यक्रम के अनुसार ही सम्बन्धित संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

(ix) संस्थान से अपेक्षा किए जाने पर राज्य सरकार को अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा अभिलेख उपलब्ध कराएगा। इनमें से किसी भी अभिलेख को प्रस्तुत अथवा दिखा न सकने को सम्बद्धता की शर्तों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

(x) संस्थान ऐसे रिकार्ड अथवा रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख आदि रखेगा जोकि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को चलाने के लिए जरूरी हों, विशेष रूप से जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा अनुदेशों अथवा नियमावली आदि में निर्धारित किए गए हों।

(xi) संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन तथा अपने वेबसाइट में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करने का पालन करेगा।

(xii) यदि संस्था में किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि संस्था शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही अथवा किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त है तो उसकी सम्बद्धता समाप्त कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को मान्यता प्रत्याहरण हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।

(xiii) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता समाप्त कर दी गयी है तो राज्य सरकार द्वारा दी गयी सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायगी।

(xiv) संस्थान का यह दायित्व होगा कि परिसर के भीतर पठन–पाठन का स्वस्थ वातावरण सृजित करें। प्रशिक्षणार्थियों का किसी भी प्रकार से किसी के भी द्वारा मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थान के प्रबन्धक एवं प्राचार्य का उत्तरदायित्व होगा। शिकायत प्राप्त पर उनके विरूद्ध सुसंगत विधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

6. प्रशिक्षण की अवधि एवं कार्य दिवस

(i) **अवधि**

बी.टी.सी. प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक सत्र (चार सेमेस्टर) की होगी।

(ii) **कार्य दिवस**

(क) इस कार्यक्रम में, परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि को छोड़कर, कम से कम 200 कार्यदिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन निकटस्थ प्राथमिक स्कूलों में अभ्यास-अध्यापन/कौशल विकास के निमित्त होंगे।

(ख) संस्थान 6 दिन के सप्ताह में कम से कम 36 घंटे काम करेगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी होगी जिससे कि व्यक्तिगत सलाह, मार्गदर्शन, संवादों और परामर्श के लिए जब कभी उसकी जरूरत हो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। संस्थान में द्विपालीय शिक्षण व्यवस्था की प्रणाली नहीं रहेगी।

(iii) अवधि एवं कार्य दिवस, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित नियमों/विनियमों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है।

7. प्रवेश किये जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा प्रवेश की क्रियाविधि

(i) **प्रवेश किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दी गयी मान्यता के अनुरूप अनुमन्य छात्र सख्या का एक बुनियादी यूनिट होगा।

(ii) **पात्रता तथा प्रवेश की प्रक्रिया**

समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित नियमों/विनियमों/शासनादेशों के अधीन निर्धारित की जायेगी।

(iii) **शुल्क**

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

8. स्टाफ

(i) **शैक्षणिक**

(क) संख्या (प्रवेश किए जाने वाले 50 छात्रों अथवा उससे कम के बुनियादी यूनिट और दो वर्षों के लिए 100 छात्रों की संयुक्त संख्या के लिए)

प्राचार्य – एक
प्रवक्ता – छः

(ख) प्रवेश किए जाने वाले अतिरिक्त 50 छात्रों के लिए अतिरिक्त स्टाफ में 5 पूर्णकालिक प्रवक्ता, 1 पुस्तकालय सहायक और 1 कार्यालय सहायक होंगे। तथापि प्रत्येक मौके पर एक बुनियादी यूनिट के अतिरिक्त दाखिले पर विचार किया जाएगा तथा सभी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या 300 से अधिक नहीं होगी।

(ग) अध्यापकों की नियुक्ति ऐसे की जाएगी कि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रविधि पाठ्यक्रमों और आधारिक पाठ्यक्रमों के लिए विशेषज्ञता उपलब्ध रहे।

(घ) संस्था में प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर नियंत्रण का दायित्व, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होगा।

(ङ) गुणवत्ता मानकानुसार न होने पर प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने हेतु शासन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संस्तुति कर सकता है।

(ii) **अर्हताएं**

(i) **प्राचार्य**

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि प्रवक्ता के पद के लिए निर्धारित हैं, तथा

(ख) प्राथमिक अथवा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में अध्यापक का पांच वर्ष का अनुभव

(ii) **प्रवक्ता**

(क) आधारिक पाठ्यक्रम **एक**

ए. अनिवार्य

55 प्रतिशत अंकों सहित एमएड./एमएड (प्रारंभिक)

अथवा

55 प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में एमए तथा प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 55 प्रतिशत अंकों सहित डिप्लोमा/डिग्री

बी. वांछनीय

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आईसीटी के प्रयोग में दक्षता

(ख) प्रविधि पाठ्यक्रम **तीन**

ए. अनिवार्य

55 प्रतिशत अंकों सहित किसी भी स्कूल शिक्षण विषय में परास्नातक की डिग्री तथा 55 प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री

बी. वांछनीय

(क) प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री को वरीयता दी जाएगी।

(ख) शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आईसीटी के प्रयोग में दक्षता

(ग) ललित कलाओं/निष्पादन कलाओं में प्रवक्ता **एक**

ए. अनिवार्य

ललित कला/संगीत/नृत्य में 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर

बी. वांछनीय

शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा

(घ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक **एक**

अनिवार्य

55 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में मास्टर्स डिग्री (एमपीएड)

वांछनीय

ईसीई/शिक्षा में डिग्री : कम से कम एक लेक्चरर के पास निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताओं के अलावा कंप्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग में औपचारिक अर्हता होनी चाहिए।

(ड.) पुस्तकालयाध्यक्ष **एक (पूर्णकालिक)**

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री

(iii) **प्रशासनिक स्टाफ**

(क) संख्या

(i) यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक - 1 (नियमित)

(ii) कम्प्यूटर प्रचालक-एवं-स्टोरकीपर - 1 (नियमित)

(ख) अर्हताएं

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित नियमों/विनियमों तथा शासनादेशों के अनुसार।

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित नियमों/विनियमों तथा शासनादेशों के अनुसार निर्धारित अर्हताएं परिवर्तित हो सकती है।

(v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता हेतु आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेन्ट) निर्गत होने की तिथि के दो माह के भीतर संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सभी संकाय सदस्यों कीं नियुक्तियां करेंगे। योग्य संकाय सदस्यों की नियुक्ति करने के पश्चात संस्था सूची को अनुमोदन हेतु सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित करेगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अधिकतम एक माह के भीतर प्राप्त सूची का परीक्षण कर अनुमोदन के सम्बन्ध में यथा आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अनुमोदित सूची की एक प्रति सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय में सुरक्षित रहेगी। यदि संस्था द्वारा किसी संकाय सदस्य को हटाकर दूसरे संकाय सदस्य की नियुक्ति की जाती है तो उसका भी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही करनी होगी। संकाय सदस्यों की अनुमोदित सूची संस्था तत्काल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समिति को प्रेषित करेगी। तदुनक्रम में संस्था को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हो जाने पर ही सम्बद्धता के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। यह भी कि संस्था के संकाय सदस्यों की नियुक्ति का अनुमोदन देने का यह आशय कदापि नहीं माना जायेगा कि संस्था को सत्र में सम्बद्धता प्राप्त हो गई है/अथवा सम्बद्धता हेतु संस्था का कोई दावा बन गया है।

(vi) **सेवा की शर्तें और उपबन्ध**

(क) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी। संस्था यह भी सुनिश्चित करेगी कि संकाय सदस्य/कार्यालयी स्टाफ किसी अन्य संस्था में किसी भी रूप में कार्यरत न हो।

(ख) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को राज्य सरकार द्वारा पदों के लिए यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(घ) स्टाफ की अधिवर्षता की आयु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित नियमों/ विनियमों तथा शासनादेशों के अनुसार होगा।

(ड़) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित नियमों/विनियमों तथा शासनादेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(च) निजी संस्थायें स्ववित्तपोषित होंगी अर्थात इन संस्थाओं को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

9. सुविधाएं

(1) आधारिक सुविधाएं

(क) भूमि व भवन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकानुसार होगा। संस्थान के कब्जे में 50 छात्रों के प्रारंभिक दाखिले के लिए 2500 वर्गमीटर नितांतः भली-भांति सीमांकित भूमि होगी जिसमें से 1500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा और बाकी स्थान लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमन्य 50 या उससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थान के पास 500 वर्गमीटर की अतिरिक्त भूमि का कब्जा होना चाहिए। प्रति वर्ष 200 से अधिक तथा 300 तक दाखिल किए जाने वाले छात्रों के लिए उसके कब्जे में 3000 वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए। सभी अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रमों पर एक साथ विचार करते हुए किसी भी संस्थान में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की कुल क्षमता 300 से अधिक नहीं होगी।

(ख) यदि संस्थान में बी.टी.सी. के अतिरिक्त अन्य अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचलित है तो उस स्थिति में निम्न मानकानुसार भूमि/भवन संस्था के पास होना चाहिए–

	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
बी.टी.सी.	2500	1500
बी.टी.सी. तथा बी. एड.	3000	3000
बी.टी.सी. तथा एन.टी.टी.	3000	2500
बी.टी.सी. तथा बी. एड. तथा एम. एड.	3500	3500
बी.टी.सी. तथा एन.टी.टी. तथा बी. एड. तथा एम. एड.	4000	4000

यदि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमन्य प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त सीटें अनुमन्य की जाती है तो बीटीसी की एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए 500 वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

(ग) संस्थान में निम्न आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिएः

(i) दो क्लासरूम जिसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कम से कम 500 वर्गफुट होगा।

(ii) 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला तथा एक डायस सहित बहुद्देशीय हाल जिसका कुल क्षेत्र 2000 वर्गफुट होगा।

(iii) पुस्तकालय एवं वाचनालय जिसका क्षेत्रफल कम से कम 1000 वर्गफुट होगा।

(iv) ईटी/आईसीटी के लिए संसाधन केन्द्र।

(v) मनोविज्ञान संसाधन केन्द्र।

(vi) कला तथा शिल्प संसाधन केन्द्र।

(vii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्र।

(viii) विज्ञान और गणित संसाधन केन्द्र।

(ix) प्रिंसीपल का कार्यालय।

(x) स्टाफ रूम।

(xi) प्रशासनिक कार्यालय।

(xii) स्टोर रूम (दो)।

(xiii) बालिकाओं का कामन रूम।

(xiv) कैंटीन।

(xv) अतिथि कक्ष।

(xvi) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग टायलेट सुविधाएं।

(xvii) वाहन खड़ा करने के लिए स्थान।

(xviii) लान, बागवानी के क्रियाकलापों आदि के लिए खुला स्थान।

(xix) स्टोर-रूम

(xx) बहुप्रयोजन खेल मैदान।

(ड.) खेल के मैदान सहित खेल सुविधाएं होंगी। विकल्प के तौर पर नितांतः निर्धारित अवधियों के लिए सम्बद्ध स्कूल या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और महानगरीय शहरों/पर्वतीय क्षेत्रों जैसे स्थानों में, जहाँ स्थान की कमी रहती है छोटे मैदान के खेलों, योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

(च) भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोड में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन हो रहा है तथा परिसर के भीतर इससे सम्बन्धित सभी आवश्यक उपकरण हर समय कार्यरत अवस्था में उपलब्ध रहेंगे।

(छ) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधारहित होने चाहिए।

(ज) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

(झ) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के अनुकूल होना चाहिए।

(ट) जनरेटर/ऊर्जा की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।

(2) शिक्षणात्मक

(क) संस्थान के पास प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास अध्यापन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त प्रारंभिक स्कूल होने चाहिए। अच्छा हो यदि संस्थान के पास स्वयं एक अपना संबद्ध प्राथमिक स्कूल हो। संस्थान अभ्यास प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक स्कूलों की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।

(ख) संस्थान अधिगम संसाधन केन्द्र स्थापित करेगा जिनमें अध्यापकों और छात्रों के लिए अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया के समर्थन और संवर्द्धन के वास्ते अनेक प्रकार की सामग्री और संसाधन सुलभ होंगे। इनमें ये शामिल होने चाहिएः

(i) पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं,

(ii) बच्चों की पुस्तकें,

(iii) श्रृव्य-दृश्य सामग्री-टीवी, ओएचपी, डीवीडी प्लेयर,

(iv) श्रृव्य-दृश्य सहायक सामग्री, वीडियो- श्रृव्यटेप, स्लाइडें, फिल्में,

(v) अध्यापन सहायक सामग्री-चार्ट, तस्वीरें,

(vi) विकासात्मक मूल्यांकन पड़ताल सूचियां और मापन साधन,

(vii) फोटोकापी मशीन,

(ग) **विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्रीः**

(i) अध्यापन-अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री

ये उपकरण और सामग्री कार्यक्रम में नियोजित बहुविध क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता और मात्रा - दोनों दृष्टियों से उपयुक्त और पर्याप्त होने चाहिए। इनमें निम्न शामिल हैं -

शैक्षिक किट, माडल, खेल सामग्री, विभिन्न विषयों (गीत, खेल, क्रियाकलाप, कार्यपृष्ठ) पर सरल पुस्तकें, कठपुतलियां, सचित्र पुस्तकें, चित्र, ब्लो-अप, चार्ट, नक्शे, फ्लैश कार्ड, हैण्डबुक, तस्वीरें, बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं की चित्रात्मक प्रस्तुतियां।

(ii) सहायक सामग्री, खेल सामग्री और कला तथा दस्तकारी क्रियाकलापों के लिए उपकरण, औजार, कच्चा माल काष्ठ कर्म औजारों का एक सेट, माली के औजारों का एक सेट, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, सिलाई, ड्रेसडिजाइनिंग, कठपुतली के लिए अपेक्षित उपकरण, प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों द्वारा चार्टों, माडलों को तैयार करने तथा अन्य व्यावहारिक क्रियाकलापों के लिए सामग्री - कला सामग्री, बेकार सामग्री, लेखन सामग्री (चार्ट पेपर, माउण्ट बोर्ड आदि) औजार जैसेकि कैंची, पैमाने आदि, कपड़ा।

(घ) **श्रव्य दृश्य उपकरण**

प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा टीवी, वीसीआर, श्रृव्य कैसेट रिकार्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रृव्य वीडियो कैसेटों, दृश्य-श्रृव्य टेपों, स्लाइडों, फिल्मों, चार्टों, तस्वीरों, रौट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अन्तर्सम्बन्ध टर्मिनल) सहित शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं वांछनीय होंगी।

(ड़) **संगीत वाद्ययंत्र**

हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मंजीरा तथा अन्य स्वदेशी वाद्ययंत्रों जैसे सामान्य संगीत वाद्ययंत्र

(च) **पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन**

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम 1000 पुस्तकें होनी चाहिए और हर साल 100 उत्कृष्ट पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के विश्वकोष, कोष, संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, बच्चों पर तथा उनके वास्ते पुस्तकें, अध्यापक पुस्तिकाएं (प्रहसनों, कथाओं, सचित्र पुस्तकों/ऐल्बमों, कविताओं सहित) तथा राअशिप द्वारा प्रकाशित, अनुशंसित पुस्तकें। संस्थान को राअशिप द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और उसके साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 3 अन्य पत्रिकाएं मंगानी चाहिए।

(छ) **खेल और खेल-कूद**

सामान्य इन्डोर और आउटडोर खेलों के लिए सम्बन्धित खेल और खेल-कूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

(3) साधन

(i) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर।

(ii) संस्थान को महिला अध्यापक-प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी- अध्यापकों के लिए अलग-अलग कामन रूमों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

(iii) स्टाफ और छात्रों के लिए पुरुषों और महिलाओं के वास्ते पर्याप्त संख्या में अलग-अलग टायलेट उपलब्ध होने चाहिए।

(iv) वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(vi) परिसर की नियमित सफाई, पानी और टायलेट सुविधाएं, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा उन्हें बदलने की कारगर व्यवस्था होनी चाहिए।

(vii) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के अनुकूल होना चाहिए।

(viii) संस्थान में अग्निशमन से सम्बन्धित सभी उपकरण चलित अवस्था में होने चाहिए। यदि संस्थान परिसर में ज्वलनशील एवं विषाक्त पदार्थों को रखना किसी कार्य हेतु अपरिहार्य है तो उसके भण्डारण हेतु समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

10. पाठ्यचर्या संचालन

(i) आधारिक विषयों को पढ़ाने के अलावा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक पाठ्यचर्या से संबंधित प्रविधि विषयों यथा क्षेत्रीय भाषा/मातृ भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन तथा पर्यावरणात्मक शिक्षा आदि जैसे शिक्षण के लिए प्रावधान होना चाहिए।

(ii) बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही समान रूप से लागू होगा।

11. प्रशिक्षण/मानक की गुणवत्ता पर नियंत्रण

(i) प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखना सम्बन्धित संस्थान का दायित्व होगा।

(ii) समय–समय पर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित निरीक्षण कराया जायेगा।

(iii) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सामायिक निरीक्षण कराया जायेगा।

(iv) गुणवत्ता मानकानुसार न पाये जाने पर संस्था की सम्बद्धता के प्रत्याहरण हेतु कार्यवाही की जायेगी तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति कर दी जायेगी।

12. वित्तीय प्रबंध

(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकानुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए पांच लाख रुपए की स्थायी निधि और प्रवेश किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए तीन लाख रुपए की आरक्षित निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक वर्ष की अवधि की सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी जिसे संस्थान को राष्ट्रीय अध्यापक

शिक्षा परिषद के विनियम 7 के उपबंध 9 के अंतर्गत जारी किए गए लैटर ऑफ इन्टेंट जारी किए जाने की स्थिति में प्रबंधकवर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उत्तर क्षेत्रीय निदेशक के संयुक्त नाम से एक सावधि जमा रसीद के रूप में बदल दिया जाएगा और उसे उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष के अंतरालों पर सावधि जमा के नवीकरण के रूप में निरंतर रखा जाएगा।

(2) संस्था द्वारा शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को यथानिर्धारित वेतन आदाता के नाम देय चेक के माध्यम से अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार प्रदान किया जाएगा। संस्थान कर्मचारियों को वेतन, ईपीएफ के भुगतान का पूरा रिकार्ड रखेगा जिसके ब्यौरे स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए जा सकते हैं और जिसे राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित लेखाओं के निम्न विवरण रखे जाएंगे और वर्ष के सितंबर के 30वें दिन तक अपने औपचारिक वेबसाइट पर दर्शाए जाएंगे।

1. वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (बैलेन्स शीट)।
2. वित्तीय वर्ष का लाभ और हानि लेखा।
3. वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा।

13. (क) सामान्य

- यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों में आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है। पूरे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा संस्थान द्वारा जिन विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके अध्यक्ष होने चाहिए।

(ख) प्रबंधन समिति

- संस्थान में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।